

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1940 (श0) (सं0 पटना 771) पटना, शुक्रवार, 10 अगस्त 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 10 अगस्त 2018

एस० ओ० 226, दिनांक 10 अगस्त 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत कार्यरत, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वर्गों के अधिकारियों को तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पर्दों पर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करते हैं —

क्र० सं०	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों का पदनाम	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 3 के अनुसार पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3
1.	वाणिज्य–कर पदाधिकारी	राज्य कर सहायक आयुक्त
2.	वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त,	राज्य कर उपायुक्त
3.	वाणिज्य—कर उपायुक्त	राज्य कर संयुक्त आयुक्त
4.	वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त	राज्य कर अपर आयुक्त
5.	वाणिज्य–कर अपर आयुक्त	राज्य कर विशेष आयुक्त
6.	वाणिज्य—कर आयुक्त	राज्य कर आयुक्त

- पदनाम में उपर्युक्त परिवर्तन के कारण पदाधिकारियों को कोई अतिरिक्त आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।
- 3. यह उस तारीख से प्रभावी होगा, जो वाणिज्य—कर आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग अधिसूचना के माध्यम से नियत करे।

[(सं०सं० ६ / प०सृ०-19—01 / 2017)—2359)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

10 अगस्त 2018

एस० ओ० 226, दिनांक 10 अगस्त 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं० ६ / प०सृ०-19—01 / 2017)—2359)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 10th August 2018

S.O. 226 Dated 10th August 2018— In exercise of the powers conferred under Section 3 of The Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), Governor of Bihar, hereby appoint the following classes of officers mentioned in column (2) of the following table and functioning under Bihar Value Added Tax Act, 2005 as officers with corresponding designations in column (3) of the table for the purpose of the said Act-

Sl. No.	Designation of officers under Bihar VAT Act, 2005	Designation of officers under Bihar Goods and Services Tax Act, 2017
(1)	(2)	(3)
1.	Commercial Taxes Officer	Assistant Commissioner of State Tax
2.	Assistant Commissioner of Commercial Taxes	Deputy Commissioner of State Tax
3.	Deputy Commissioner of Commercial Taxes	Joint Commissioner of State Tax
4.	Joint Commissioner of Commercial Taxes	Additional Commissioner of State Tax
5.	Additional Commissioner of Commercial Taxes	Special Commissioner of State Tax
6.	Commissioner of Commercial Taxes	Commissioner of State Tax

- 2. No additional monetary benefit shall be granted to the officers due to change in above nomenclature.
- 3. It shall come into force on such date as the Commissioner Commercial Taxes, Commercial Taxes Department may, by notification, appoint.

[(File No. 6/Pa.Sri.-19-01/2017-2359)]
By the order of Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 771-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in